

प्रेस नोट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर दिनांक 14.11.2025

चोरी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की अंगूठी व मोबाइल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बाँसगाव के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह के नेतृत्व में 30नि0 विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 359/25 धारा 331(4),305 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू उर्फ सूर्या उर्फ रणविजय यादव पुत्र दिग्विजय नाथ यादव निवासी ग्राम चेरिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की अंगूठी व मोबाइल बरामद किया गया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 13.11.25 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा कमरे का ताला तोड़कर अंगूठी, मोबाइल व गेहूँ चोरी कर लिया गया है, जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गोलू उर्फ सूर्या उर्फ रणविजय यादव पुत्र दिग्विजय नाथ यादव निवासी ग्राम चेरिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 359/25 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- मु0अ0सं0 269/25 धारा 305, 317(2) बीएनएस थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

- 01 अदद मोबाइल
- 01 अदद सोने की अंगूठी
- 1940 रुपया

गिरफ्तारी की टीम-

- उ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
- का0 राकेश यादव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर